झारखंड सरकार,

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक............................

संख्या :–01/नीति–05–04/2024–........................../ झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम–II, 1915) की धारा 89 एवं 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, सह–पठित धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों के संचालन एवं शुल्कों के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 651 दिनांक 31.03.2022 द्वारा अधिसूचित **''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022''** में संशोधन/अंतःस्थापन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ एवं परिभाषा** –
   - (i) यह नियमावली **''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2025''** कही जायेगी।
   - (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
   - (iii) यह नियमावली विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।
2. अतएव झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली 2022 के निम्नांकित नियमों में संशोधन/नियमों का अंतःस्थापन किया जाता है –

क्र0	नियम	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2(xiv)	**अंतःस्थापन**	''**बार परिवहन शुल्क (Bar Transport Fee)**'' से अभिप्रेत है, JSBCL के थोक बिक्री गोदाम से होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा के परिवहन के निमित्त अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क। बार परिवहन शुल्क की गणना मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य के अंतर के अनुसार की जायेगी। बार परिवहन शुल्क की गणना अनुज्ञाधारकों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व की प्राप्ति/निर्धारण में की जायेगी।
2	4	**न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (MGQ):–** संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रत्येक होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निर्धारित किया जायेगा।	**न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व {Minimum Guaranteed Revenue (MGR)} :–** संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रत्येक होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों हेतु वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया जायेगा, जिसका विभाजन त्रैमासिक रूप में किया जायेगा।
3	4(i)	वर्त्तमान में कार्यरत रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10), होटल, रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10) तथा क्लब (उत्पाद प्रपत्र–7'क') अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी के MGQ का निर्धारण संबंधित	वर्त्तमान में कार्यरत रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10), होटल, रेस्तराँ एवं बार (उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10) तथा क्लब (उत्पाद प्रपत्र–7'क') अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR) का निर्धारण संबंधित होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में विगत

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब में विगत वित्तीय वर्ष के उठाव के अनुरूप संग्रहित उत्पाद कर में वृद्धि करते हुए जिला के उपायुक्त द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के अनुशंसा पर किया जायेगा। नियमावली लागू होने के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि दर 15% निर्धारित किया जाता है। उसके बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जिला के उपायुक्त द्वारा माह फरवरी तक में भेजे गये न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर आयुक्त उत्पाद द्वारा संबंधित उपरोक्त इकाईयों का MGQ निर्धारित किया जायेगा।</td>
<td>वित्तीय वर्ष के उठाव के अनुरूप संग्रहित उत्पाद कर में वृद्धि करते हुए जिला के उपायुक्त द्वारा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के अनुशंसा पर किया जायेगा। नियमावली लागू होने के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि दर 15% निर्धारित किया जाता है। उसके बाद के वित्तीय वर्ष के लिए माह फरवरी तक में जमा किये गये न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के आधार पर जिला के उपायुक्त द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार समीक्षोपरांत आयुक्त उत्पाद द्वारा संबंधित उपरोक्त इकाईयों का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (MGR) निर्धारित किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4 (ii)</td>
<td>यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति निर्गत कीजाती है तो वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की अनुशंसा पर जिला के उपायुक्त द्वारा मासिक अनुपात में किया जायेगा।</td>
<td>यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है तो वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की अनुशंसा पर जिला के उपायुक्त द्वारा त्रैमासिक अनुपात में किया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4 (iii)</td>
<td>उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार) एवं उत्पाद प्रपत्र–7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माहवार उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">माह का नाम</th><th>माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व</th></tr>
<tr><th>भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ विदेश निर्मित विदेशी मदिरा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अप्रैल</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मई</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>जून</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जुलाई</td><td>वार्षिक मात्रा का 6%</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अगस्त</td><td>वार्षिक मात्रा का 6%</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सितम्बर</td><td>वार्षिक मात्रा का 7%</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अक्टूबर</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>नवम्बर</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>दिसम्बर</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>जनवरी</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>फरवरी</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>मार्च</td><td>वार्षिक मात्रा का 9%</td></tr>
</table></td>
<td>उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार) एवं उत्पाद प्रपत्र–7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का त्रैमासिक उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">त्रिमाह का नाम</th><th>त्रैमासिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व</th></tr>
<tr><th>भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेश निर्मित विदेशी मदिरा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रथम
(अप्रैल से जून)</td><td>वार्षिक मात्रा का 27%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>द्वितीय
(जुलाई से सितम्बर)</td><td>वार्षिक मात्रा का 19%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>तृतीय
(अक्टूबर से दिसम्बर)</td><td>वार्षिक मात्रा का 27%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>चतुर्थ
(जनवरी से मार्च)</td><td>वार्षिक मात्रा का 27%</td></tr>
</table>
त्रिमाहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा का उठाव अनुज्ञाधारी को करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा त्रिमाहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा का उठाव नहीं कर पाने की स्थिति में</td>
</tr>
</table>

		माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समतुल्य मदिरा का उठाव अनुज्ञाधारी को करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समतुल्य मदिरा काउठाव नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित माह के राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व कोषागार में माह के अंतिम कार्य दिवस को जमा करना होगा।यदि माह के अंतिम कार्यदिवस राजपत्रित/बैंक अवकाश हो तो उसके अगले कार्यदिवस को उक्त राशि जमा करना होगा। जिसकी माहवार गणना संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा की जायेगी। उक्त कार्यदिवस को राजस्व क्षति के समतुल्य राशि जमा नहीं करने पर विलम्ब होने की स्थिति में शेष राजस्व की राशि पर प्रति दिन 5% की दर पर विलम्ब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पाद राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व को कोषागार में जमा नहीं करने की स्थिति में देय राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क को उनके द्वारा जमा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी। राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क की राशि उनके द्वारा जमा जमानत राशि से अधिक होने पर जिला के उपायुक्त, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की अनुशंसा पर संबंधित होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति के विखंडन की कार्रवाई करेंगे तथा उनके द्वारा जमा जमानत राशि को समायोजित/जप्त कर लिया जायेगा।	संबंधित त्रिमाह के राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व कोषागार में माह के अंतिम कार्य दिवस को जमा करना होगा। यदि त्रिमाह के अंतिम कार्यदिवस राजपत्रित/बैंक अवकाश हो तो उसके अगले कार्यदिवस को उक्त राशि जमा करना होगा। जिसकी त्रिमाहवार गणना संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा की जायेगी। उक्त कार्यदिवस को राजस्व क्षति के समतुल्य राशि जमा नहीं करने पर विलम्ब होने की स्थिति में शेष राजस्व की राशि पर प्रति दिन **1% (एक प्रतिशत)** की दर पर विलम्ब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पाद राजस्व क्षति के समतुल्य राजस्व को कोषागार में जमा नहीं करने की स्थिति में देय राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क को उनके द्वारा जमा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी। राजस्व क्षति एवं विलम्ब शुल्क की राशि उनके द्वारा जमा जमानत राशि से अधिक होने पर जिला के उपायुक्त, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद की अनुशंसा पर संबंधित होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्ति के विखंडन की कार्रवाई करेंगे तथा उनके द्वारा जमा जमानत राशि को समायोजित/जप्त कर लिया जायेगा।
6	4 (iv)	तीन सितारा एवं उससे ऊपर के स्तर के होटलों के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रावधान लागू नहीं होगा। (होटल के तीन सितारा एवं उसके ऊपर के स्तर के होटलों के सितारा का निर्धारण पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के होटल एण्ड रेस्टोरेंट अप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेशन समिति (HRACC) के द्वारा जारी किये गये स्टार प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा।	तीन सितारा एवं उससे ऊपर के स्तर के होटलों के लिए मदिरा के **न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व** का प्रावधान लागू नहीं होगा। होटल के तीन सितारा एवं उसके ऊपर के स्तर के होटलों के सितारा का निर्धारण पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के होटल एण्ड रेस्टोरेंट अप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेशन समिति (HRACC) के द्वारा जारी किये गये स्टार प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा।
7	4 (v)	गैर वाणिज्यिक क्लब के लिए मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रावधान लागू नहीं होगा।	गैर वाणिज्यिक क्लब के लिए मदिरा **के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व** का प्रावधान लागू नहीं होगा।
8	5	**उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–7'क' (क्लब) को खुदरा उत्पाद दुकान से विदेशी मदिरा प्राप्त करने हेतु चिन्हित किया जाना एवं पारक निर्गत की**	**उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–7'क' (क्लब) को थोक विक्रेता (JSBCL) के विभिन्न गोदामों से विदेशी मदिरा प्राप्त करने हेतु चिन्हित किया जाना एवं पारक निर्गत की विधि :–**

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
विधि :–
(i) जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की प्रत्येक अनुज्ञप्तियों के अनुज्ञाधारियों के लिए मदिरा का क्रय करने हेतु जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों को चिन्हित किया जायेगा। होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के सामान्यतः 5 किलोमीटर या अपरिहार्यता में अधिकतम 10 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित खुदरा उत्पाद दुकानों को चिन्हित किया जायेगा। केवल चिन्हित दुकानों से ही जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की आपूर्त्ति पारक के आधार पर की जायेगी, जिसकी स्वीकृति जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा किया जायेगा।
(ii) उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार), एवं उत्पाद प्रपत्र–7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारी इकाई को मदिरा का उठाव/प्राप्ति चिन्हित खुदरा उत्पाद दुकानों के अन्यत्र किसी अन्य खुदरा उत्पाद दुकान/इकाई से करना वर्जित होगा। ऐसा करने पर उनके उत्पाद अनुज्ञप्ति को विखंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।
(iii) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मदिरा आपूर्त्ति हेतु जिला उत्पाद कार्यालय में Online आवेदन समर्पित किया जायेगा। Online प्राप्त आवेदन पर उपकंडिका–(i) के प्रावधानानुसार पारक निर्गत किया जायेगा।
</td>
<td>
(i) जिलान्तर्गत होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब की प्रत्येक अनुज्ञप्तियों के अनुज्ञाधारियों के लिए मदिरा का क्रय करने हेतु जिला हेतु चिन्हित JSBCL के गोदाम से मदिरा का उठाव थोक बिक्री मूल्य एवं बार परिवहन शुल्क (BTF) के योग के रूप में परिगणित मूल्य पर करेंगे। होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा की आपूर्त्ति पारक के आधार पर की जायेगी, जिसकी स्वीकृति जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा किया जायेगा।
(ii) उत्पाद प्रपत्र–9 एवं 10 (रेस्तराँ एवं बार), उत्पाद प्रपत्र–8, 9 एवं 10 (होटल, रेस्तराँ एवं बार) एवं उत्पाद प्रपत्र–7'क' (क्लब) अनुज्ञप्तिधारी इकाई को मदिरा का उठाव/प्राप्ति चिन्हित JSBCL के गोदाम के अन्यत्र किसी अन्य स्थान/गोदाम/खुदरा दुकान से करना वर्जित होगा। ऐसा करने पर उनके उत्पाद अनुज्ञप्ति को विखंडित करने की कार्रवाई की जायेगी।
(iii) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मदिरा आपूर्त्ति हेतु जिला उत्पाद कार्यालय में Online आवेदन समर्पित किया जायेगा। Online प्राप्त आवेदन पर उपकंडिका–(i) के प्रावधानानुसार पारक निर्गत किया जायेगा।
(iv) होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उठाव की जाने वाली मदिरा के थोक बिक्री मूल्य एवं अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर राशि को बार परिवहन शुल्क (Bar Transport Fee) के रूप में JSBCL स्तर से संग्रहित कर अगले माह के 10 तारीख तक राज्य कोषागार के मुख्यशीर्ष 0039 में जमा कर दिया जायेगा।
</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>6(i)</td>
<td>
<u>अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत की राशि :–</u>
(i) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों हेतु देय अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्तियों की कार्यावधि निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>क्षेत्र/अनुज्ञप्ति का नाम</th><th>होटल, रेस्तराँ एवं बार का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10) प्रति वित्तीय वर्ष</th><th>क्लब का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र–7) प्रति वित्तीय वर्ष</th><th>होटल, बार, रेस्तरां एवं क्लब के द्वारा जमा किया जाने वाला जमानत की राशि (Security Deposit)</th><th>संचालन अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>झारखण्ड राज्य अवस्थित 5 Star</td><td>15 लाख (पंद्रह लाख रूपये)</td><td>–</td><td>6 लाख (छः लाख रूपये)</td><td>प्रातः 10 बजे से रात्रि 1</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<u>अनुज्ञप्ति शुल्क एवं जमानत (Security) की राशि :–</u>
(i) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों हेतु देय अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्तियों की कार्यावधि निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है :–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>क्षेत्र/अनुज्ञप्ति का नाम</th><th>होटल का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10) प्रति वित्तीय वर्ष</th><th>रेस्तराँ एवं बार का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10) प्रति वित्तीय वर्ष</th><th>क्लब का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (उत्पाद प्रपत्र–7) प्रति वित्तीय वर्ष</th><th>होटल, बार, रेस्तरां एवं क्लब के द्वारा जमा किया जाने वाला जमानत की राशि (Security Deposit)</th><th>संचालन अवधि</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	Hotel				बजे तक
2	झारखण्ड राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्र एवं बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र	9 लाख (नौ लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 12 बजे तक
3	झारखण्ड राज्य के नगर परिषद क्षेत्र	7.20 लाख (सात लाख बीस हजार रूपये)	7.20 लाख (सात लाख बीस हजार रूपये)	4 लाख (चार लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक
4	झारखण्ड राज्य नगर पंचायत क्षेत्र	6 लाख (छः लाख रूपये)	6 लाख (छः लाख रूपये)	3 लाख (तीन लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक
5	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र	3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार रूपये)	3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार रूपये)	2 लाख (दो लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक

1	झारखण्ड राज्य अवस्थित 5 Star Hotel	15 लाख (पंद्रह लाख रूपये)	–	–	6 लाख (छः लाख रूपये)	प्रातः 10 बजे से रात्रि 1 बजे तक
2	झारखण्ड राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्र एवं बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र	12 लाख (बारह लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	9 लाख (नौ लाख रूपये)	5 लाख (पाँच लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 12 बजे तक
3	झारखण्ड राज्य के नगर परिषद क्षेत्र	9.60 लाख (नौ लाख साठ हजार रूपये)	7.20 लाख (सात लाख बीस हजार रूपये)	7.20 लाख (सात लाख बीस हजार रूपये)	4 लाख (चार लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक
4	झारखण्ड राज्य नगर पंचायत क्षेत्र	7.60 लाख (सात लाख साठ रूपये)	6 लाख (छः लाख रूपये)	6 लाख (छः लाख रूपये)	3 लाख (तीन लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक
5	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र	4.80 लाख (चार लाख अस्सी हजार रूपये)	3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार रूपये)	3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार रूपये)	2 लाख (दो लाख रूपये)	10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक

नोट :–

क) नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित, वैसे होटल, रेस्तरां एवं बार (उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10)/रेस्तरां एवं बार (उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10)/क्लब (उत्पाद प्रपत्र 7'A') के अनुज्ञाधारी, जिनका वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 30 लाख रूपये से अधिक निर्धारित है, उन्हें निर्धारित समयावधि से एक घंटा अधिक बार संचालन की अनुमति होगी। राजस्वहित को दृष्टिपथ रखते हुए ऐसे अनुज्ञाधारियों के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क से रू0 4,00,000/– (चार लाख रूपये) अतिरिक्त एकमुश्त देय होगा।

ख) नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र के अन्य अनुज्ञाधारी जिनका वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 30 लाख रूपये से कम है, वे जिला उत्पाद कार्यालय में आवेदन समर्पित कर अपने राजस्व में वृद्धि करा सकेंगे एवं उपरोक्त शर्त्त के तहत समयावधि के विस्तार का लाभ ले सकेंगे। परंतु उक्त निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में वृद्धि गैर प्रतिवर्त्तित (Non-reversable) होगा।

ग) वैसे अनुज्ञप्तिधारी, जिनके द्वारा उपरोक्त (ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क जमा किया गया है, तो उनके अनुज्ञप्ति इकाई में संशोधित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अनुरूप मदिरा की खपत नहीं होने की दशा में उनके अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का समायोजन/प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा।

साथ ही उपरोक्त प्रावधान कंडिका (क) से आच्छादित उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10, उत्पाद प्रपत्र 9 एवं 10 एवं उत्पाद प्रपत्र 7'A' के अनुज्ञाधारी के द्वारा जमा किये गये अतिरिक्त

			अनुज्ञाशुल्क को भी समायोजित/प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकेगा।
10	8	**अनुज्ञप्तियों का नवीकरण:–** (i) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि के पूर्व किया जायेगा। (ii) अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन/आवेदन चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जमा कर दिया जायेगा। (iii) 31 मार्च तक अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराने की स्थिति में अनुज्ञप्तियाँ निरस्त मानी जायेगी। (iv) निरस्त अनुज्ञप्ति परिसर में संचयित स्कंध का सत्यापन जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा करते हुए उक्त स्कंध को चिन्हित खुदरा उत्पाद दुकानों में स्थानान्तरण कराया जायेगा।	**अनुज्ञप्तियों का नवीकरण :–** (i) अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के उपायुक्त द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि के पूर्व किया जायेगा। (ii) अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु अभ्यावेदन/आवेदन चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक जमा कर दिया जायेगा। होटल, रेस्तरा, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों को उनके द्वारा जमा राशि के आधार पर Indent निर्गत हो सकेगा। अगले वित्तीय वर्ष नवीकृत अनुज्ञाधारियों के वॉलेट में जमा अवशेष राशि को JSBCL द्वारा माह अप्रैल के 10 तारीख तक हस्तांतरित किया जायेगा। (iii) 31 मार्च तक अनुज्ञाधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराने की स्थिति में एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून तक इस प्रकार के अनुज्ञप्तियों के नवीकरण कराने हेतु आवेदन समर्पित करने पर समीक्षोपरांत आयुक्त उत्पाद की अनुमति के आलोक में जिला के उपायुक्त के द्वारा अनुज्ञप्तियों का नवीकरण किया जा सकेगा। ऐसे अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क के साथ–साथ वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का एक चौथाई विलंब शुल्क तथा उक्त इकाई का अनवीकृत अवधि का निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व जमा करना होगा। अर्थात ऐसे अनुज्ञप्तियों के नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क + नवीकरण शुल्क का 1/4 विलंब शुल्क + अनवीकृत अवधि का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व देय होगा। (iv) निरस्त अनुज्ञप्ति परिसर में संचयित स्कंध का सत्यापन जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा करते हुए उक्त स्कंध के विनष्टीकरण/पर्षदीय अनुदेश के नियम 117 के तहत आपसी सहमति से हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी। किन्तु क्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी इकाई के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में ऐसे मदिरा स्कन्धों की गणना नहीं की जायेगी।
11	9(D)	**अंतःस्थापन**	होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीकरण करते समय यह तथ्य संज्ञान में रखा जायेगा कि प्रस्तावित/संचालित अनुज्ञप्ति परिसर भवन के रूफटॉप पर स्थित नहीं हो। रूफटॉप पर स्थित होने की स्थिति में प्रस्तावित/संचालित अनुज्ञप्ति परिसर सक्षम प्राधिकार यथा नगर निगम आदि से स्वीकृति प्राप्त हो तथा स्थायी रूप से पूर्णतः आवरणयुक्त (Fully coverd) हो। अनुज्ञप्ति परिसर के रूफटॉप पर संचालित होने वाले वैसे होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब, जो सक्षम प्राधिकार यथा नगर निगम से अनुमोदित नहीं है तथा स्थायी रूप से पूर्णतः आवरणयुक्त (Fully coverd) नहीं है, की अनुज्ञप्ति का नवीकरण दिनांक 01.04.2025 से नहीं किया जायेगा।
12	16	**अंतःस्थापन**	होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में किसी प्रकार का स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थो के उपभाग एवं व्यापार प्रतिबंधित होगा तथा इससे संबंधित परिसर के प्रवेश द्वार के दृष्टिसुलभ स्थल पर Anti Drug Awarness Warning (Signage Board) स्टील बोर्ड में अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा।

13	17	**अंतःस्थापन**	झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 के अधिसूचना संख्या 471/F दिनांक 15.01.1919 द्वारा अधिसूचित के नियम 47 यद्यपि होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी जिला के उपायुक्त स्थल परिसर का अनुमोदन करते हुए स्थानीय जनभावना एवं विधि व्यवस्था का ध्यान रखेंगे।
14	18	**अंतःस्थापन**	होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब में लाउड स्पीकर अधिनियम, 1959 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं रात्रि 10:00 बजे के उपरांत लाउड म्यूजिक नहीं बजाया जायेगा।
15	19	**अंतःस्थापन**	होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के परिसर में तेज धारदार हथियार, शस्त्र/आग्नेय अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा।
16	20	**अंतःस्थापन**	होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के परिसर में CCTV Camera का अनिवार्य रूप से अधिष्ठापन करना होगा एवं विगत एक सप्ताह का CCTV Footage संधारित करना बाध्यकारी होगा।
17	21	**निरसन**	''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022'' के नियम 16 को नियम 21 के रूप में रूपांतरित किया जाता है।

3. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 651 दिनांक 31.03.2022 द्वारा निर्गत ''झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022'' के शेष नियम यथावत रहेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :— 01/नीति—05—04/2024—...................../ राँची, दिनांक................................

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखंड राज्य के राजकीय गजट में अविलंब करें तथा प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :— 01/नीति—05—04/2024—...................../ राँची, दिनांक................................

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, झारखंड, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :— 01/नीति—05—04/2024—...................../ राँची, दिनांक................................

प्रतिलिपि :— महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त/उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।